

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल०-37/2025-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० चन्द्रशेखर चौधरी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, झंझारपुर, मधुबनी के द्वितीय संतान हेतु दिनांक-13.05.2024 से 27.05.2024 तक कुल-15 (पन्द्रह) दिनों के उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में पितृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल०-37/2025- 681(2) पटना, दिनांक 25/5/2025

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधुबनी/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, झंझारपुर, मधुबनी/कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी/ डा० चन्द्रशेखर चौधरी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, झंझारपुर, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।